// MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
(Ministry of Minority Affairs, Govt. of India)
Chelmsford Road, New Delhi - 110 055
Phone: 23583788, 23583789 Fax: 011-23561945
Website: maef.nic.in Email: scholarship-maef@nic.in

Guide lines and some instructions about Maulana Azad National Scholarship

Maulana Azad Education Foundation provides scholarship. For meritorious girl students belonging to minorities. Online and offline forms can be filled for the academic year 2015-16 from 1st July, 2015. Those girl students, who have got 55% in class 10th examination and got admission in class 11th in the year when result of 10th exam is declared, are eligible to apply for this scholarship scheme. While applying for the scholarship attention should be given to the following important points:

- The application form should be verified by the principal of present school/college.
- Photo must be attested by the principal of present school/college.
- Marksheet should be attested by principal of present school/college.
- Annual income of the parents must be less than 100000 (one lac).
- Income certificate should produce in Hindi/English language only.
- Income certificate should be issued by Tahsildar, Block officer or Notary Public of the Concerned area/Block/Distt.

It has been observed that many students commit mistake in the following application form, which causes difficulty for both the applicant as well as the office of the foundation. Therefore following instructions must be followed while filling the application form.

- Full name should be written in English (block letters).
- Complete address like House No., street No., Block, District, State and Pin No must be mentioned.
- Phone No. /mobile No. of parents/Guardian should also be mentioned in concerned column.
- If available Email address should also be provided.
- A copy of bank passbook/Aadhaar card should also be enclosed to make it convenient to collect any informal easily.

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

चेल्मसफोर्ड रोड, नई दिल्ली—110055

फोन न.: 23583788, 23583789 फेक्स न.: 011-23561945

वेबसाईट: maef.nic.in इमेल: scholarship-maef@nic.in

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय कुछ खास बातों पर ध्यान दें

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के द्वारा दिया जाने वाला ''मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति'' 2015—16 के लिए ऑन—लाईन और ऑफ—लाईन फॉर्म 1 जुलाई 2015 से भरा जाएगा। इस छात्रवृत्ति के लिए पूरे देश की ऐसी सभी छात्राएं आवेदन फॉर्म भर सकती हैं जिन्होंने 2015 में दसवीं में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ सफलता प्राप्त की हो। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले कुछ बिंदुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार हैं:

- फॉर्म के पहले पृष्ठ पर चिपकाई जाने वाली फोटो पर स्कूल की मुहर और प्रिंसपल के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
- मार्कशीट पर भी स्कूल की मुहर और प्रिंसपल के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- मार्कशीट के ऑरिजनल कॉपी की छायाप्रति पर ही अपने प्रिंसपल से हस्ताक्षर कराएं, इंटरनेट से निकाले गए मार्कशीट पर प्रिंसपल का हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- अनुलग्नक-1 के अन्तर्गत दिए गए जांच फॉर्म (जो कि स्कूल/कॉलेज के प्रिंसपल द्वारा भरा गया हो) को फॉर्म के नीचे दिए गए नोट के अनुसार भरें। इस फॉर्म पर स्कूल/कॉलेज की मुहर और प्रिंसपल के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है।
- अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) से कम होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही मान्य है। किसी अन्य स्थानीय भाषा में प्राप्त होने पर फॉर्म को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
- आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, ब्लॉक आफीसर या नोटरी द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिए।

ज्ञात रहे कि कई बार छात्राएं फॉर्म भरने में चूक कर बैठती हैं जिसके कारण आगे चल कर उन्हें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठान को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फॉर्म भरते समय निम्न बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है:

- अपना पूरा नाम अंग्रेजी (ब्लॉक लेटर) में साफ—साफ लिखें।
- अपना वही नाम लिखें जो बैंक अकाऊंट में लिखित है।
- पूरा पता भी जरूर लिखें जिसमें मकान नं०, गली नं०, ब्लॉक, ज़िला और राज्य का नाम (पिन कोड के साथ) डालना न भूलें।
- अपना या अपने अभिभावक का टेलीफोन या मोबाईल नं० जरूर लिखें।
- हो सके तो ई—मेल पता भी लिखें ताकि किसी समस्या के समय आपसे सम्पर्क किया जा सके।
- बैंक अकाऊंट/आधार कार्ड की फोटोप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें।